संख्या-282/2026/87 के-2/22-3-2026-17(51)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र स्व0 धनी, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0-(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19.01.2026) दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र स्व0 धनी, जो ग्राम शादीपुर, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दिनांक 02/03.06.2014 की रात्रि को बन्दी द्वारा अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बहला फुसलाकर पीडिता उम्र 14 वर्ष को भगाकर ले गये तथा उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-9000049/2015 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 368 व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बिजनौर के आदेश दिनांक 21.07.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2025 तक 05 वर्ष, 01 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 30 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 02/03.06.2014 की रात्रि को बन्दी द्वारा अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बहला फुसलाकर पीडिता उम्र 14 वर्ष को भगाकर ले गये तथा उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र स्व0 धनी को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र (बन्दी संख्या-49968) पुत्र स्व0 धनी, निवासी जनपद-बिजनौर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-282/2026/87 के-2/22-3-2026-17(51)/2026

दिनांक- 21 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र स्व0 धनी, जो ग्राम शादीपुर, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दिनांक 02/03.06.2014 की रात्रि को बन्दी द्वारा अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बहला फुसलाकर पीडिता उम्र 14 वर्ष को भगाकर ले गये तथा उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-9000049/2015 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 368 व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बिजनौर के आदेश दिनांक 21.07.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2025 तक 05 वर्ष, 01 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 30 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 02/03.06.2014 की रात्रि को बन्दी द्वारा अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बहला फुसलाकर पीडिता उम्र 14 वर्ष को भगाकर ले गये तथा उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र पुत्र स्व0 धनी को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।